मंत्रालयों में खिलाड़ियों के लिए आरक्षित नौकरियां

1033. **प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों में खिलाड़ियों के लिए आरक्षित पदों की संख्या मंत्रालय-वार और वर्ग-वार कितनी-कितनी है;

(ख) क्या उपर्युक्त आरक्षण पर्याप्त है; और

(ग) क्या सरकार इस आरक्षण कोटे को बढ़ाने का विचार रखती है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एस० आर० बालासुब्रह्मण्यन): (क) और (ख) विद्यमान अनुदेशों के अनुसार, समूह "ग" तथा समूह "घ" पदों में सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली कुल रिक्तियों का अधिकतम 5% उत्कृष्ट खिलाड़ियों को नियुक्त करके भरा जा सकता है।

(ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रधान मंत्री कार्यालय में भ्रष्टाचार नियंत्रण कक्ष

1034. **प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधान मंत्री ने अपने कार्यालय में भ्रष्टाचार नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है;

(ख) यदि हां, तो इस कक्ष में कार्यरत अधिकारियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन अधिकारियों को दी गई कानूनी शक्तियों और कार्य-क्षेत्र का ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस०आर० बालासुब्रह्मण्यन): (क) और (ख) प्रधान मंत्री के कार्यालय में कोई भी भ्रष्टाचार नियंत्रण कक्ष नहीं खोला गया है। तथापि भ्रष्टाचार-निरोधी मामलों की मॉनीटरिंग के लिए प्रधान मंत्री के कार्यालय में उपलब्ध कर्मचारियों को पुनः संगठित करके एक लघु एकक स्थापित किया गया है।

(ग) यह एकक, प्रधान मंत्री कार्यालय में, भ्रष्टाचार के संबंध में आम जनता से प्राप्त सभी शिकायतों की संवीक्षा करता है और उन्हें पूछताछ/जांच तथा उपयुक्त कार्रवाई के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों को भेज देता है। यह एकक, उन केन्द्रीय मंत्रालयों और सरकारी एजेन्सियों में ऐसे मामलों के निबटान को भी मॉनीटर करता है जिनके पास भ्रष्टाचार संबंधी मामलों के निबटान का उत्तरदायित्व है। इस प्रक्रिया में यह समयबद्ध और उत्तरदायी तरीके से सतर्कता तथा भ्रष्टाचार के मामलों के निबटान के संबंध में मौजूदा पद्धतियों तथा क्रियाविधियों की समीक्षा भी करता है।

Direction to adopt Information Technology Software

1035. SHRI SANJAY DALMIA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government have issued directions to all the State and Central Government Organisations to adopt "Information technology software" in administration; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI S.R. BALASUBRAMONIYAN): (a) and (b) In 1986, the Government issued directive to all the Central Government Departments to use NICNET of the National Informatics Centre (NIC) to adopt information technology software in administration and their other areas of work. NIC has signed Memorandum of Understanding with all State Governments and Union Territory Administrations for use of NICNET by them to adopt information technology software in administration and other areas of day-to-day operations.

In the light of decisions taken by the Government on the report of the expert committee set up to examine computerisation of government operations, Central Ministries and Departments have been requested to initiate action *inter alia* to prepare a five year plan for the extension of information technology in different aspects of work including those related to services to the public. Following a workship of State officials held in Hyderabad in August, 1997, state governments have been requested to approach the NIC and the

Government of Andhra Pradesh in case they are interested in adopting the software packages used in Andhra Pradesh.

Fifth Central Pay Commission's recommendations for Medical and Travel facilities for Pensioners

1036. SHRI SHIV CHARAN SINGH:
SHRI PARAG CHALIHA:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state the details of recommendations made by Fifth Central Pay Commission for the Pensioners' medical and travel facilities which have been accepted by Government?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI S.R. BALASUBRAMONIYAN): The Fifth Pay Commission's recommendation that pensioners residing in an area not covered by Central Government Health Scheme should be given a fixed amount of medical allowances @ Rs. 100/- per month for meeting the expenditure on day to day medical expenses that do not require hospitalisation has been accepted.

The issue of extension of CS(MA) Rules, 1944 to the Central Government Pensioners residing in the areas not covered by the Central Government Health Scheme is being examined by the Government.

In so far as extension of travel concession to pensioners is concerned, it may be stated that the Fifth Central Pay Commission in para 140.27 of its Report have rejected the demands for extending travel concessions to pensioners.

दक्षिणी दिल्ली की सरकारी कॉलोनियों की रेजीडेंट वैलफेयर एसोसिएशनों के चुनाव

1037. **श्री रामजीलाल:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दक्षिणी दिल्ली में स्थित सरकारी कॉलोनियों में कार्यरत कतिपय रेजीडेंट वैलफेयर एसोसिएशनों के चुनाव इस वर्ष नहीं हुए हैं तथा पूर्व एसोसिएशनों के पदाधिकारियों द्वारा सरकार को गलत सूचना दी गई है कि वे पुनः चुन लिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ग) क्या यह भी सच है कि उक्त एसोसिएशनों द्वारा पूर्व में एकत्रित किए गए धन आदि का ब्यौरा भी नहीं भेजा गया है;

(घ) यदि हां, तो धोखाधड़ी करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध अब तक की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० आर० बालासुब्रहमण्यन): (क) और (ख) विभिन्न रेजिडेंट वैलफेयर एसोसिएशनों के पदाधिकारियों का चुनाव, सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर, संबंधित एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा किया जाता है। रेजिडेंट वैलफेयर एसोसिएशन का चुनाव न कराए जाने के संबंध में एक शिकायत मिली है जबकि पदाधिकारियों ने दावा किया है कि 1997-99 के ब्लाक वर्ष के चुनाव करवाए जा चुके हैं।

(ग) से (ङ) पंजीकृत एसोसिएशन द्वारा सहायता अनुदान जारी करने के प्रस्ताव सहित सम्पूर्ण लेखों के ब्यौरे (इसमें एसोसिएशन के सदस्यों से अंशदान इत्यादि के तौर पर इकट्ठे किए गए फण्ड भी शामिल है) भेजे जाते हैं जिन्हें पूर्व वर्ष के लेखों के जांच के पश्चात् ही मंजूरी दी जाती है। चालू वर्ष के लिए सहायता-अनुदान राशि जारी किए जाने के एसोसिएशनों के प्रस्ताव अभी भी प्राप्त हो रहे हैं। तथापि, किसी एसोसिएशन/सदस्य के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने का कोई कारण उत्पन्न नहीं हुआ है।

Drawal of Pension by State Government Employees

1038. SHRIMATI MALTI SHARMA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the retired employees of State Governments of West Bengal, Orissa etc. are required to draw their pensions from Nationalised Banks/ Treasuries within the respective states;